

# FORM NO -III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर,






मुकाम

नागौर

प्रार्थी  
नाथूखा पुत्र मिसूखा जाति लौहार  
निवासी डोडियाना तहसील रियांबड़ी  
जिला नागौर

बनाम  
रावतसिंह पुत्र सबलसिंह आयु 88  
वर्ष जाति राजपूत निवासी  
डोडियाना तहसील रियांबड़ी जिला  
नागौर

किस्म मुकदमा - स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 19 सन् 2021

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए   |
|-------------|---|---|
| 25.06.21    | <p>प्रार्थी ने यह स्थगन प्रार्थना पत्र तहसीलदार रियांबड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 03/2021 प्रार्थी रावतसिंह पुत्र सबलसिंह प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 21.06.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 22.07.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><br/>जिला कलक्टर, नागौर</p>   |   |
| 22/7/21     | <p>वकील प्रार्थी उपरोक्त आदेशिका अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी का नोटिस पुनः पेश करने पर भारी होकर पत्रावली दिनांक 16/8/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><br/>कलक्टर, नागौर</p>  |   |
| 10.8.21     | <p>वकील प्रार्थी उपरोक्त वकील प्रार्थी जत आदेशिका द्वारा अप्रार्थी का पुनः नोटिस पेश करे, जो पेश होने पर तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 9.9.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><br/>कलक्टर, नागौर</p>   |   |
| 13.9.21     | <p>मजिस्ट्रेट कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर होने से पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी ने स्थगन प्रार्थना पत्र Not pcc-35 किया है। प्रार्थना पत्र को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रद्द किया जाना है। पत्रावली फिलहाल सुप्राट होकर नागर से कर्म क्षेत्र कारिब्य दफ्तर हो। आदेश लुनाथ गंजा।</p> <p style="text-align: right;"><br/>(उप. जजिन्द्र कुमार खोत्री)<br/>कलक्टर, नागौर</p> | <p>पत्र भवन<br/></p> |